

पत्रांक: 797-E/Policy/Allowances
दिनांक : 16/10/2017

RBE No.108/2017
NCR PS No.5155/2017

समस्त विभागाध्यक्ष/उमरे/इला., वरि. उप महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक/सा. मु.प्रशा. अधि./नि
मंडल रेल प्रबंधक/कार्मिक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद, आगरा एवं झांसी।
मुख्य कारखाना प्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे, वैगन रिपेयर शॉप झांसी।
मुख्य कारखाना प्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे, रेल स्प्रिंग कारखाना, सिथौली (ग्वालियर)।
चेयरमैन/आरआरसी/उत्तर मध्य रेलवे/इलाहाबाद।
उप मुख्य सामग्री प्रबंधक/झांसी, उप मु. अभि./सीपीओएच/इला., उप मु. अभि./सीएसपी इला.
प्रिन्सिपल - सुपरवाइजरस ट्रेनिंग सेन्टर, झांसी, सिविल ट्रेनिंग सेन्टर, कानपुर, इण्डिया रेलवे ट्रैक
मशीन ट्रेनिंग सेन्टर, इलाहाबाद, एरिया ट्रेनिंग सेन्टर, झांसी, बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर, लोको, झांसी,
बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर, सी एण्ड डब्लू/झांसी, बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर, वैगन वर्कशॉप, झांसी, सी एण्ड
डब्लू ट्रेनिंग सेन्टर, कानपुर, परमानेंट वे ट्रेनिंग सेन्टर, झांसी, ट्रान्सपोर्टेशन ट्रेनिंग सेन्टर,
सूबेदारगंज, इला., इलेक्ट्रिक ट्रेनिंग सेन्टर/टीआरडी/झांसी, इलेक्ट्रिक ट्रेनिंग सेन्टर, कानपुर,
मु.प्रा. अधि./आईआरपीएमयू/नई दिल्ली
उप मुख्य इंजी/ब्रिज/लाइन/इला./झांसी एवं आगरा, एक्स ई एन/ब्रिज लाइन/झांसी।
व.स.वि.स/कैश एवं पे/उमरे/इलाहाबाद।

Sub:- Implementation of the recommendations of Seventh Central Pay
Commission accepted by the Government-National Holiday Allowance

The copy of Railway Board's letter No E(P&A)I_2017/HL-1 dated
30.08.2017 is sent herewith for your information, guidance and necessary action please.

Policy letters circulated under NCRPS Nos. may also be downloaded from website
www.ncr.indianrailways.gov.in
(About us/Department/Personnel/NCR Policy Circulars)

DA: As above.

(V.P. Singh)

Sr. Personnel Officer/HQ
For General Manager/P

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. कार्यालय अधीक्षक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
2. मुख्य विधि सहायक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
3. मुख्य स्टाफ एण्ड वेलफेयर इन्सपेक्टर, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
4. मुख्य कार्यालय अधीक्षक/एससी-एसटी, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
5. महामंत्री, एन सी आर ई एस
6. महामंत्री, एन सी आर एम यू
7. महामंत्री, एन सी आर पी ओ ए
8. महामंत्री एस सी/एस टी एशोसिएशन
9. महामंत्री ओबीसी एशोसिएशन

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

No. E(P&A)I-2017/HL/1

PC-VII No. 46
RBE No. 108/2017
New Delhi, dated 30.08.2017.

The General Managers and Principal Financial Advisers,
All Indian Railways & Production Units.

NCR, Allahabad

Sub: Implementation of recommendations of Seventh Central Pay Commission
accepted by the Government – National Holiday Allowance.

Consequent upon the decisions taken by the government on the recommendations
of the Seventh Central Pay Commission relating to revision of allowances, the President is
pleased to revise the rates of National Holiday Allowance as under:

Level in the Pay Matrix (VII CPC)	Rate of Allowance (per day)
1 and 2	₹384
3 to 5	₹477
6 to 8 (limited to non-gazetted staff)	₹630

- The rates of this allowance will further increase by 25 percent each time DA rises by 50 percent.
- The revised rates of allowance shall be admissible with effect from the 1st July, 2017.
- The other terms and conditions as contained in Board's letter No. E(P&A)I-97/HL/2 dated 18.02.1998 for grant of this allowance shall remain unchanged.
- This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.
- Please acknowledge receipt.

Anil Kumar
(Anil Kumar)
Dy. Director/E(P&A)-I
Railway Board.

No. E(P&A)I-2017//HL/1

New Delhi, dated 30.08.2017

Copy to the Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room
No.222, Rail Bhawan, New Delhi (with 40 spares).

S. Chatterjee
for Financial Commissioner/Railways

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

पीसी-VII सं. ५६
आरबीई सं. १०४/२०१७
दिनांक ३०.०८.२०१७

सं.ई(पी एंड ए)-2017/एचएल/1

महाप्रबंधक और मुख्य वित्तीय सलाहकार,
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां

विषय: सरकार द्वारा स्वीकृत सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन - राष्ट्रीय अवकाश भत्ता।

भत्तों के संशोधन के संबंध में सातवें केंद्रीय आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति सहर्ष राष्ट्रीय अवकाश^{भने} की दरों में निम्नानुसार संशोधित करते हैं:

वे मैट्रिक्स (VII सीपीसी) में लेवल 7	भत्ते की दर (प्रति दिन)
1 और 2	₹384
3 से 5	₹477
6 से 8 (केवल गैर-राजपत्रित कर्मचारियों के लिए)	₹630

2. प्रत्येक बार डीए में 50 प्रतिशत की वृद्धि होने पर इस भत्ते की दर में भी 25 प्रतिशत की और वृद्धि की जाएगी।
3. इस भत्ते की संशोधित दरें 1 जुलाई, 2017 से स्वीकार्य होंगी।
4. इस भत्ते के संबंध में बोर्ड के दिनांक 18.02.1998 के पत्र सं. ई(पी एवं ए)-97/एचएल/2 में अंतर्विष्ट अन्य निबंधन एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।
5. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।
6. कृपया पावती दें।

(अनिल कुमार)

उप निदेशक/ई(पी एंड ए)-।
रेलवे बोर्ड

सं.ई(पी एवं ए)-2017/एचएल/1

नई दिल्ली, दिनांक 30.08.2017

प्रतिलिपि (40 अतिरिक्त प्रतियाँ सहित) भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कमरा नं.222, रेल भवन, नई दिल्ली को अग्रेषित।

L
L
L

APR 1968
BY C. O'CONNOR
DY C.
BY C.
CHAMBERMAN
SPOKE
PRO/R
APOUR

7-149

ll

कोनाली महुनी
कृते वित्त आयुक्ता/रिणें